



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64757

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9287 वर्ष 2026

मोहित

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : भानु प्रकाश वर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री भानु प्रकाश वर्मा, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.के. पाण्डेय और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आलोक शर्मा को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को थाना जैत, जिला मथुरा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 701 वर्ष 2025, धारा 191(2), 191(3), 109(1), 103(1), 115(2), 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्राथमिकी और घायल के बयान के परिशीलन से मृतक राधाकृष्णन को आग्नेयास्त्र से चोट पहुँचाने का विशिष्ट आरोप योगेश और राहुल पर लगाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि मृतक राधाकृष्णन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्शाती है कि उसे केवल एक आग्नेयास्त्र की चोट आई थी, जिसका श्रेय योगेश और राहुल को दिया गया है। आवेदक पर अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर घायल को डंडे से पीटने का आरोप लगाया गया है। सभी चोटें प्रकृति में सामान्य हैं। आवेदक ने साथ लगे शपथ पत्र में दो

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामलों के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया है। आगे यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 29.12.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा **कपिल वधवन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के मामले में दिए गए निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक- **मोहित** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में लिप्त नहीं होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित हो, के आधार पर इस वचन पत्र के साथ रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, संदर्भ : स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, (2024) 10 एससी 685 जो 31.01.2023 को निर्णीत हुआ, के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को भेजी जाए।

28 मार्च, 2026

एस.सी.

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।